हमारी बस्ती उजड़ने को है, हम क्या करें?

प्रकाशन: खतरा केन्द्र, 2013

हमारी बस्ती उजड़ने को है, हम क्या करें?

प्रकाशनः
खतरा केन्द्र
2013

संपादन:
शबनम सुल्ताना

शोध:
मो. उसामा, ज़हीर अहमद, ब्रह्मा पांडे

कवर पेज:
हेनू मौर्या

लेआउट व फॉरमेटिंग:
वर्तिका श्रीवास्तव

प्रकाशक:
ख़तरा केन्द्र,
92 H, तीसरी मंज़िल,
प्रताप मार्केट, मुनीरका,
नई दिल्ली – 110067

मुद्रक:

विषय सूचि

1	हमारी बस्ती उजड़ने को है, हम क्या कर सकते हैं ?	1
2	बस्ती का सर्वे कैसे करें? बस्ती का सर्वे हम खुद कर सकते हैं	4
3	पता करें कि हमें कहाँ भेजा जा रहा है ?	7
4	पता करें ज़मीन किसकी है?	9
5	सरकार की पुनर्वास नीति को समझें	12
6	डी.डी.ए. की नीति पर मा० उपराज्यपाल के आदेश क्या कहते हैं ?	17
7	कोर्ट का आदेश क्या कहता है?	21
8	ज़मीनी लड़ाई (लोगों को एकजुट) होना है	24
9	नुक्कड़ मीटिंग	29
10	ज़मीन कहाँ गई ?	31
11	क्या सचमुच दिल्ली में ज़मीन नहीं है?	35

हमारी बस्ती उजड़ने को है, हम क्या कर सकते हैं ?

1

पिछले पन्द्रह सालों से दिल्ली में लाखों लोग अपने घरों से बेदखल किए गए। कई बस्तियों को तोड़ा गया और ये बेदखली की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से चलाई गई, लेकिन बस्ती से बेदखल किए गए लोगों के पुनर्वास की बारी आई तो उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को पुनर्वासित ही नहीं किया गया। हर एक बस्ती से लगभग 60 से 70 प्रतिशत लोग बेदखली के बाद पुनर्वासित नहीं किए गए जबकि अधिकतर लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) और एम.सी.डी. द्वारा बनाई गई पुनर्वासित नीति के अनुसार पुनर्वासित करने के योग्य हैं।

पिछले एक दशक में ही विकास के नाम पर दिल्ली की बहुत सारी बस्तियों से लाखों लोगों के घर उजाड़ दिए गए। और आधे से ज्यादा लोगों के पास सारे कागज़ होने और योग्यता की शर्तें पूरी करने के बावजूद भी उन्हें प्लॉट नहीं दिया गया।

किसी भी बस्ती के पुनर्वास नीति के निम्नलिखित पहलू हो सकते हैं :-

- बस्ती के लोगों के लिए पुनर्वास नीति को बनाने से पहले उनसे पूछना कि इस तरह की नीति कैसी हो? नहीं तो कम से कम सरकार की बनी हुई नीति पर लोगों से आपत्तिया दर्ज करने के लिए कहना और इसके साथ ही बस्ती को उजाड़ने और लोगों को बसाने की नीति जिसको "पुनर्वास नीति" कहते हैं उसका प्रचार हर एक बस्ती में करना।
- बस्ती को उजाड़ने वाले सरकारी विभाग (जैसे डी.डी.ए. या डी.यू.एस.आई.बी.) के द्वारा बस्ती का सर्वे करना, जिसके लिए कम से कम 15 दिन पहले बस्ती के सार्वजनिक स्थानों (जैसे कि चौराहों वगैरह) पर सर्वे का नोटिस लगा होना चाहिए।
- बस्ती में किए गए सर्वे के आधार पर पुनर्वास के लिए योग्य एवम् अयोग्य लोगों की सूची तैयार कर उसे बस्ती के सार्वजनिक स्थानों (जैसे कि चौराहे, चौक वगैरह) पर नोटिस लगा होना चाहिए। इस तरह की सूची कम से कम एक महीने पहले लगनी चाहिए जिससे कि किसी भी बस्ती निवासी को अपनी आपत्तियों को दर्ज़ करने का सही मौका मिल सके।
- बस्ती के तोड़े जाने से पहले सभी पुनर्वास के योग्यता वाले लोगों को पुनर्वास वाली जगह पर सभी मूलभूत सुविधाओं (जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि) के साथ बसाया जाना चाहिये और ये तय करना चाहिये कि पुनर्वास की जगह लोगों के काम या रोज़गार से ज़्यादा दूर न हो।

लेकिन अगर ऊपर दिए गए तरीकों में कुछ भी अगर बस्ती को तोड़ने वाला सरकारी विभाग नहीं अपनाता है तो इसमें गलती किसकी है ? और जिनके पास सालों से शहर में बसने के सबूत हो जैसे कि राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बच्चे के स्कूल के सर्टिफिकेट, जन्मपत्री या कोई और नया कागज़, और इसके बावजूद भी अगर उन्हे अयोग्य बता कर उनका पुनर्वास नहीं किया जाता तो इस तरह के लोग अपनी बस्ती को बचाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं ? इस पुस्तक के माध्यम से हम आपके साथ अन्य बस्तियों के लोगों द्वारा अपने घर का हक पाने की कोशिश को बाँट रहे हैं। जिनमें से निम्नलिखित तरीके आप अपनी बस्ती में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर दिलाने के लिए अपनाए।

बस्ती का सर्वे कैसे करें:
बस्ती सर्वे हम खुद कर सकते हैं

2

खुद के सर्वे की क्यों ज़रूरत है :-

2006 में पीतमपुरा दिल्ली से बन्नूवाल नगर बस्ती तोड़ी गयी थी और 1600 घरों को डी.डी.ए. द्वारा उजाड़ा गया लेकिन यहां पर एक खास बात ये थी कि डी.डी.ए. के सर्वे करने के बाद लोगों ने मिलके अपनी बस्ती का सर्वे खुद ही करना शुरू कर दिया, और कुल 1150 लोगों को बस्ती उजाड़ने से पहले ही बिना खास दिक्कत के प्लॉट मिला।

ठीक इसी प्रकार से अगर आप की बस्ती का सर्वे हो चुका हो और आपको मालूम पड़े कि इसमें तो बहुत सारे लोगों को, कागज़ के बावजूद, सर्वे में नाम ना होने के कारण अयोग्य करार दिया गया है या फिर आपकी बस्ती में सर्वे हो चुका है और आप की बस्ती टूटने वाली है पर लोगों को ये मालूम ही नहीं कि कागज़ होने के बावजूद कितने लोगों को दोबारा बसाया जाएगा, इस प्रकार के माहौल में बन्नूवाल नगर के लोगों की तरह आप भी अपना सर्वे करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोबारा बसाने योग्य बना सकते हैं।

सर्वे कैसे करना है :-

सर्वे यानी आप सब के बारे में जानकारी को कागज़ पर उतारना। ये काम कोई भी थोड़ा सा लिख–पढ़ सकने वाले बस्ती के लोग कर सकते हैं। यहाँ पर सब से ज़रूरी काम लोगों के पास से दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी जमा करना है। दस्तावेज़ यानि कोई ऐसा कागज़ जिस पर आपका नाम, घर का पता और तिथि लिखी हुई हो। फिर एक–एक करके सब लोगों के दस्तावेज़ में दी गई जानकारी को इस प्रकार से लिखा जाए।

क्र0 स0	नाम	पिता/ पति का नाम	झुग्गी नम्बर	राशन कार्ड नम्बर और दिनांक	वोटर कार्ड दिनांक के साथ	दिल्ली प्रशासन कार्ड/वीपी सिंह कार्ड	अन्य दस्तावेज़
1.	क	क–11	क–11	रा.का. 1234 दिनांक 01.01.1995	DL 1234 दिनांक 01.01.1995	12345 दिनांक 1990	जैसे की जन्मप्रमाण पत्र 1998
2.	ख	ख–22	ख–22	पुराना राशन कार्ड दिनांक 1990	012345 दिनांक 01.01.1990		जैसे की जन्मप्रमाण पत्र 1998

इस प्रकार से सबके नाम इस लिस्ट में जोड़ें जाएं। अब अगर सरकारी सर्वे का निर्णय आया हो या ना आया हो, आप लोग अपने खुद के इस सर्वे की कॉपी को सरकारी दफ्तर में जमा करें। इसके लिए इस सर्वे की

कॉपी को एक आवेदन पत्र के साथ जमा करना पड़ेगा। साथ ही जमा करवाने के बाद इसकी एक कॉपी को उसी सरकारी दफ्तर से रिसीव करवाकर अपने पास रख लें।

इस आवेदन पत्र में ये लिखा जाए कि :–

सेवा में,
विभाग का पता
.....
.....

दिनांक .....

महोदय,

"हमारी बस्ती (बस्ती का नाम और पता) में आप लोगों द्वारा (सर्वे करने वाले विभाग का नाम जैसे की डी.डी.ए. या DUSIB) पुनर्वास नीति के तहत् तोड़ कर बसाने के लिए सर्वे (अगर सर्वे की तिथि मालूम है तो वे भी लिखें) किया था। जिसके आधार पर आपको हमें योग्य लोगों की सूची देनी थी। बहरहाल अपनी तरफ से सर्वे करके योग्य लोगों सूची यहाँ के लोगों के दस्तावेज़ों के आधार पर जमा कर रहे हैं। आपसे गुज़ारिश है की इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए की हमारे द्वारा पुनर्वास नीति के तहत् सूची बना कर संलग्न की गयी है। इस सूची में से नीति द्वारा योग्य कोई भी परिवार आपकी योग्य लोगों की सूची में से ना छूटने पाये। और हमारी आपसे ये भी माँग है कि आपके द्वारा तैयार योग्य लोगों की सूची समय तय कर के दिया जाए।

धन्यवाद
भवदीय
हस्ताक्षर
अपना पता
.....

पता करें कि
हमें कहाँ भेजा जा रहा है ?

3

ये जानकारी आपका अधिकार है कि आपके मकानों को तोड़ने के पश्चात् योग्य लोगों को कहाँ भेजा जाएगा। इस बात के दो पहलू हैं – एक तो यह कि नयी जगह की शहर से दूरी कितनी है और वहां पर काम पाने की क्या संभावनायें हैं। यानि बस्ती तोड़ने के बाद पुनर्वास की जगह पर क्या रोज़गार के साधन मौजूद हैं? और दूसरा ये कि वहाँ पर मूल सुविधाएं, जैसे सड़क, नाली, खड़ंजा, राशन की दुकान, बच्चें का स्कूल, बिजली और आस–पास चिकित्सा सुविधा इत्यादि है या नहीं ? प्लॉट कटा है या नहीं, या अगर फ्लैट है तो कैसा है ? कोर्ट के आदेशानुसार ये सब सुविधाएं आपकी बस्ती को तोड़ कर आप लोगों को वहाँ भेजने से पहले होनी ज़रूरी है।

इसकी जानकारी भी ज़मीन के मालिक या तोड़ने वाले विभाग के पास कुछ लोग जा कर पूछ सकते हैं। इसका पता अपने आस पास के सूत्रों से लगाया जा सकता है। जैसा कि कॉउंसलर, प्रधान, विधायक/एम.एल.ए. वगैरह से।

पता करें ज़मीन किसकी है?

4

जब हमें किसी भी जगह से हटाया/उजाड़ा जाता है या फिर हटाने की बात की जाती है तो सबसे पहले हमारा हक बनता है कि हम उस ज़मीन के मालिक की पहचान करें कि आखिर वो ज़मीन किस विभाग की है। हमें यह बात समझनी होगी की सही जानकारी से ही हम अपनी लड़ाई को मज़बूत बना सकते हैं, वरना सरकारी तंत्र हमेशा हमें गुमराह करता ही रहेगा।

ज़मीन के मालिक - हम में से अधिकतर लोग इस चीज़ की जानकारी से बहुत दूर हैं कि ज़मीन का असल मालिक कौन है। ज़्यादातर लोग तो बस यही जानते हैं कि ज़मीन सरकार की है। पर यह नहीं जानते कि सरकार के किस विभाग से उस ज़मीन का मामला जुड़ा हुआ है। हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि ज़मीन किस विभाग से जुड़ी है, उसका पता लगाया जाए जैसे :

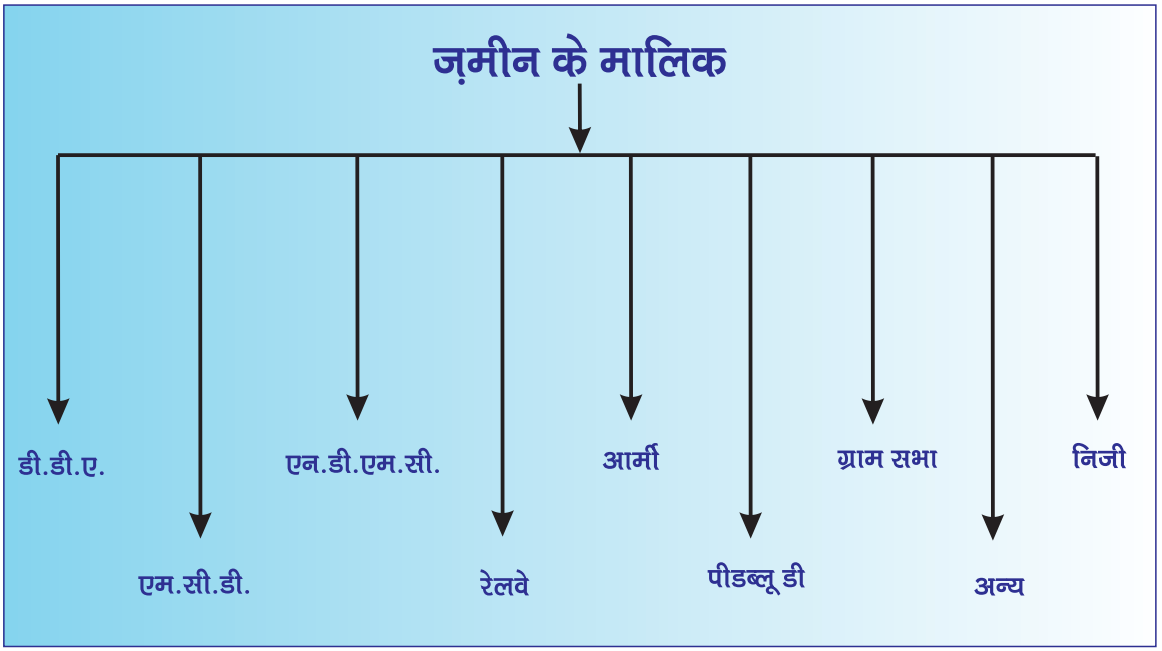

ज़मीन किसकी है यह पता करने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। **आर.टी.आई. (RTI)** यानि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् हम उपयुर्क्त विभाग में आर.टी.आई. डालकर ज़मीन के विभाग के जानकारी हासिल कर सकते हैं। आर.टी.आई. के अलावा सरकारी विभाग में जाकर भी हम जानकारी हासिल करें।

आर.टी.आई के आवेदन पत्र में ये लिखा जाए कि :–

सेवा में,
विभाग का पता
.....
.....

दिनांक .....

विषय : सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत्

महोदय,

अपनी जानकारी के लिये पूछे जाने वाले सवाल

1. .....

2. .....

3. .....

कृपया मुझे उपरोक्त जानकारी 30 दिन के अन्दर दी जाए।

नोट :– 10रू० का पोस्टल ऑर्डर, संख्या नम्बर ....., संलग्न है।

धन्यवाद
भवदीय
हस्ताक्षर
अपना पता
.....

उजाड़ने का मकसद - बस्ती उजाड़ने से पहले हमें सरकार के मकसद को भी जानना होगा कि आखिर किस वज़ह से हमें वहाँ से हटाया जा रहा है और हमें हटाने के बाद उस ज़मीन पर क्या होने वाला है, आखिर वो ज़मीन किसको बेची जाएगी। अकसर तो सरकारी विभाग की ओर से ये कह दिया जाता है कि झुग्गियों को हटाने के लिए कोर्ट का आदेश है, पर हमें विभाग से कोर्ट का आदेश मांगना होगा ताकि हमें पता चल सके कि आखिर सच क्या है ?

सरकार की पुनर्वास नीति को समझें

5

बस्ती को उजाड़ने और बसाने के लिए अलग–अलग सरकारी विभागों ने लिखित में नीतियां बना रखी हैं और दिल्ली में मूल रूप से 2 सरकारी विभाग इस काम को करते हैं :–

- डी.डी.ए. (DDA) यानि दिल्ली विकास प्राधिकरण जो कि केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अन्दर आता है।
- और डी.यू.एस.आई.बी. (DUSIB) यानि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (पूर्व स्लम् विभाग एमसीडी) जो कि दिल्ली सरकार के अन्दर आता है।

यूँ तो पिछले 60 सालों में इन दोनों विभागों ने लाखों लोगों के घर उजाड़े लेकिन उजाड़ने के बाद बसाने के कार्य में साल दर साल प्लॉट मिलने वालों की संख्या और सुविधाओं की संख्या घटती गयी। यानि की मोटे तौर पर :

- प्लॉट का आकार
- प्लॉट या फ्लैट की योग्यता की शर्तें
- नयी जगह पर मूल सुविधाएं
- लोगों से जमा करने वाली रकम, में बहुत बदलाव आया है और यह इतनी बढ़ गई है कि इसकी कीमत हर तरीके से बस्ती वालों के खिलाफ ही रही है।

अगर एक नज़र डालें तो मूलरूप से नीतियों को तीन वर्गों में बाँट कर देखा जा सकता है

1. **1990 से पहले की नीति :-** प्लॉट पाने की योग्यता के प्रमाण के रूप में **राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, एम.सी.डी. जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चें का स्कूल प्रमाण पत्र**, आदि में से किसी एक दस्तावेज का होना पर्याप्त था। कट ऑफ डेट (तिथि) का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए कभी ज़मीन सस्ते दर पर हमेशा के लिए विस्थापित व्यक्ति को दी गई तो कभी यह छोटी सी लाईसेंस राशि लेकर 99 वर्षों की लीज़ पर दी जाने लगी। समय के साथ–साथ पुनर्वास के लिए दी जाने वाली ज़मीन छोटी होती गई– 70 वर्ग मीटर, 67 वर्ग मीटर, 36 वर्ग मीटर से 21 वर्ग मीटर। विस्थापित व्यक्तियों को पहले से ही सूचित करने के बाद उनका सर्वे किया जाता था। जिनका किसी कारणवश सर्वे नहीं हो पाता था उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाता था किन्तु उस समय में भी लोगों को शहर के अंदर मिल रहे व्यवसाय और रोज़गार से परे कोसों दूर बसाया जाता था।

2. **1990 से 2010 के बीच की नीतियाँ :-** इन दो दशकों में सरकारी संस्थानों ने वह सभी तरीके खोज निकाले जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उजाड़ कर कम से कम लोगों को बसाया जा सके। अगर कोई 1990 से पहले दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण देने में सक्षम होता है तो उसे ज़मीन दी जाने लगी। परन्तु पुनर्वास के लिए मिलने वाली ज़मीन घट कर 18 वर्ग मीटर हो गई। इसे पाने के लिए 7000 रूपये का भुगतान करना पड़ता था, साथ ही ज़मीन सिर्फ 10 साल के लाईसेंस पर उपलब्ध की जाने लगी। कुछ समय बाद लोगों पर उपकार के रूप में कट ऑफ डेट (तिथि) बढ़ाकर 1998 कर दी गई, परन्तु ज़मीन घटकर 12 वर्ग मीटर ही रह गई, पर भुगतान की राशि 7000 रूपये ही रही, लेकिन लीज़ का समय 10 वर्ष से घटकर 5 वर्ष हो गया। कट ऑफ डेट (तिथि) जैसी चीजें सरकार तय ही कैसी कर सकती हैं जब रहने को आवास हर नागरिक का मौलिक अधिकार हैं? नीति के अंतर्गत नोटिस दे कर सर्वे होना चाहिए। परन्तु क्या वास्तविकता में ऐसा हुआ? दस्तावेज़ों में **राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, दिल्ली प्रशासन कार्ड** में से कोई भी मान्य है। परन्तु क्या नीतियों को मानते हुए जिन लोगों के पास इनमें से सिर्फ एक ही दस्तावेज़ हो, क्या उन्हें माना गया? या नीति में दिए गए अन्य दस्तावेज़ों को भी माना गया? घर और दुकान एक ही छत के नीचे हों तो उन्हें भी प्लॉट मिलने का प्रावधान है, पर क्या उन्हें प्लॉट मिला? इन नीतियों पर सारे सवाल खड़े होने का मतलब यही है कि सरकार अपनी मर्जी से जब चाहे कम से कम लोगों को ज़मीन दे। लोगों के पास सरकारी दस्तावेजों के होने पर क्यों नहीं माना जाता? जबकि सर्वे इन्हीं दस्तावेज़ों को साबित करने के लिए किया जाता है। लाखों लोगों का बेघर होना इन नीतियों की असफलता और दोषों को दर्शाता है। जानबूझकर कम से कम लोगो को बसाने के लिए यह नीतियाँ इस प्रकार से बनाई जाती है कि सरकारी अफसरों को बिना किसी ठोस प्रक्रिया को बताते हुए ढीला दिशा निर्देश देती है, जिस कारण इन अफसरों को लालफीताशाही और मनमानी करने की जगह मिलती है।

3. **2010 के बाद की नीति :-** वर्ष 2010 में पुनर्वास के लिए एक नई नीति और एक नई संस्था बनी जिसे डी.यू.एस.आई.बी. (दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रुवमेंट बोर्ड) कहा गया। इसके अंतर्गत जीवन स्तर को बेहतर बनाने के नाम पर ज़मीन के बजाए एक बहु मंजिली इमारत में फ्लैट देने का प्रावधान दिया गया। वास्तव में यह नीति और अधिक सवालों से घिरी है। फ्लैट पाने के लिए दस्तावेज़ों के साथ आय को भी आधार बनाया गया, जिसके तहत व्यक्ति की वार्षिक आय एक लाख से कम होनी चाहिए। जिन लोगों की आय एक लाख से अधिक हैं, उन्हें इस नीति से कोई जगह नहीं है। दूसरी बात ये हैं कि मांगे गए दस्तावेज़ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ से बाहर कर देते हैं। गौर करने वाली बात ये हैं कि इस नीति मे भी दो कट ऑफ डेट हैं जिसके तहत जो लोग 2002 से पहले दिल्ली में आने का प्रमाण दें उन्हें

75,000 (पचहत्तर हजार) रूपये फीस के तौर पर देने होंगें, और जो लोग 2002 से 2007 के बीच का प्रमाण देते हैं, उन्हें 1,32,000 (एक लाख बतीस हजार) रूपये फीस देनी होंगी और अगर लोगों को सालों से रह रहे ज़मीन पर बसाना हो तो ठेकेदार के बनाए फ्लैट में अपनी ही जगह पर 1,53,000 (एक लाख तेरेपन हजार) रूपये दे कर रहना होगा, जबकि ठेकेदार को इन पैसों के अलावा बची ज़मीन भी व्यवसायिक मुनाफे के लिए दी जाएगी। अगर ऐसा हैं तो दस्तावेज़ होते हुए भी लोग योग्यता साबित नहीं कर सकेंगें। जबकि पिछली नीति में कम से कम कहने को एक ही दस्तावेज़ काफी था। आप ही सोचिये जिनकी दिन भर की आय से रोज़ी रोटी मुश्किल से चलती हो वह लाखों का भुगतान कैसें करें? बैंक से अगर कर्ज भी ले, तो ब्याज के साथ वह कर्ज कैसे चुका पाएंगे?

इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि पुनर्वास नीतियां इस तरह से बनाई गई हैं कि पुनर्वास के समय कम से कम लोगों को जगह देनी पड़ी या फिर पूरी बस्ती को ही कुछ ना दे। इसके लिए एक तो नीति में दी गई मनमानी शर्तें और मांगी गई ज्यादा रकम का सहारा लिया जाता है जिससे बहुत से लोग खुद ही अयोग्य हो जाते हैं।

नीति के तहत् योग्य होने पर भी अयोग्य बताकर प्लॉट या फ्लैट नहीं दिया :-

बस्ती उजाड़ने से पहले सबसे पहला काम बस्ती के लोगों को अलग–अलग गुटों में बाँटा जाता है। जैसे की नए लोग, पुराने लोग, कागज़ वाले, बिना कागज़ वाले, सर्वे में नाम वाले या बिना नाम वालों, डी.डी.ए/ डी.यू.एस.आई.बी. (एमसीडी) की सूची में है या नहीं हैं। इसी कारण से बस्ती को अलग गुटों में बाँट कर आसानी से एक एक करके घर तोड़े जाते हैं और अन्त में आधे से ज़्यादा लोग बिल्कुल नहीं बसाए जाते और जो थोड़े से बचते हैं उनको दूर बवाना और होलम्बी कलां, भलस्वा, नरेला, मदनपुर खादर जैसी जगहों पर अमानवीय ढंग से कुछ साल के लाइसेंस पर खूब फीस लेकर बसाया जाता है।

नीति के तहत् अयोग्य बताने के लिए डी.डी.ए. क्या करती है :- इसको समझने के लिए उदाहरण है कि सन् 2006–07 में बन्नूवाल नगर, प्रगति मार्केट, सावन पार्क, केला गोदाम, पश्चिम विहार, यमुना पुश्ता जैसी जगहों से हजारों लोगों को उजाड़ा गया था। जिनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को निम्नलिखित बहाने मार कर पुनर्वासित नहीं किया गया।

94 लोगों का मामला (बन्नूवाल नगर और प्रगति मार्केट) :- सन 2006 में इन बस्तियों को उजाड़े जाने के बाद इनमें से कई सारे लोगों को पुनर्वासित नहीं किया गया था। इनमें से 94 लोगों की एक सूची को पहले दिए हुए टेबल (पृष्ठ संख्या 5) की तरह उनका नाम, पता, राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि को लिख कर डी. डी.ए. में जमा किया गया। और फिर डी.डी.ए. से ये माँग की गई की इनमें से हर एक को पुनर्वासित क्यों नही किया गया कि वजह को लिखित में दें। कई कोशिशों के बाद जब ये लिस्ट आई तो पता लगा कि

मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति को प्लॉट ना देने के 5 बहाने लिखे थे :–

1. सर्वे में नाम नहीं है या सर्वे के समय बस्ती में मौजूद नहीं थी
2. किराएदार हैं क्योंकि सर्वे में किसी और का नाम है
3. सर्वे के समय घर पर ताला था
4. सर्वे में व्यवसायिक मकान पाया था
5. राशन कार्ड नहीं है

लोगों ने क्या किया :-

बवाना में अपनी समसयाओं को लेकर लोगों ने धीरे–धीरे चर्चा करना शुरू किया। इनमें से बहुत से लोगों को संगठन के साथ मिलकर काम करने का अनुभव था। इसलिए ऐसे लोग जो बिखरने के बावजूद लड़ रहे थे उन्होंने सन् 2008 में ख़तरा केन्द्र के साथ मिलकर अपने हक की माँग को ज़ारी रखने की बात रखी। लोगों ने ख़तरा केन्द्र से मिलकर ये बात सामने रखी कि जिन लोगों को योग्य होते हुए भी प्लॉट नहीं मिल पाया है उन लोगों के लिए कैसे लड़ा जाए। इस मुद्दे पर ख़तरा केन्द्र ने लोगों को राय दी कि वे लोग संगठित होकर ज़मीनी लड़ाई के लिए अगर तैयार हैं तो ख़तरा केन्द्र नीतिगत और कानूनी पहलूओं के मामले में उनकी मदद करेगा। इसी प्रकरण के चलते बवाना के लोगों द्वारा कई धरने प्रदर्शन किए गए और दिल्ली के उपराज्यपाल (जो कि डी.डी.ए. के सर्वेसर्वा हैं) के साथ कई बैठकें की गईं। हर एक बैठक में उपराज्यपाल ने इस मामले में कुछ स्पष्ट आदेश दिए हैं।

डी.डी.ए. की नीति पर मा० उपराज्यपाल के आदेश क्या कहते हैं ?

6

मान्नीय उपराज्यपाल के साथ डी.डी.ए. की पुनर्वास नीति के सम्बन्ध में कई सारी बैठके हुईं जिनमें ये बात हर बार रखी गयी थी कि डी.डी.ए. की नीति में बस्ती वालों को प्लॉट देने या ना देने के लिए एक दिन में किए गए सर्वे को आधार बनाते हैं जो कि खुद मनमाने तरीके से होता है और यह बात भी रखी गयी कि सर्वे को आधार बनाने के कारण बहुत सारे लोग कागज़ होने के बावजूद पुनर्वास के अयोग्य ठहराये जाते हैं। मा० उपराज्यपाल से यह भी पूछा गया कि वो इस बात को साफ कर दें कि अगर लोगों के पास कागज़ात हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें सर्वे में नाम नहीं होना बताकर पुनर्वास के लिए अयोग्य बताया जाता है तो इसमें सर्वे को ना माना जाए बल्कि लोगों के पास जो सरकारी कागज़ हैं उनको माना जाए। मा० उपराज्यपाल ने उनके यहाँ हुई कई बैठकों में इस बात को माना और यह आदेश दिया कि डी.डी.ए. खुद अपनी नीति को सही से लागू न करने के कारण सर्वे को ना माने बल्कि लोगों के कागज़ को माने ।

जैसे कि मा० उपराज्यपाल 18.05.2010 को डी.डी.ए. की पुनर्वास नीति..(NO. F2 (1)2001/LMCPLA/86 dated 3.02.2004) के सम्बन्ध में यह आदेश दिया कि डी.डी.ए. को उन सभी लोगों को, जो नीति के अनुसार प्लॉट पाने के हकदार हैं, जल्द ही वैकल्पिक प्लॉट उपलब्ध कराना चाहिए और जिन लोगों का मुद्दा दुनू राय (ख़तरा केन्द्र) द्वारा उठाया गया है, उनके सम्बन्ध में जल्द ही निर्णय लेना चाहिए।

लेकिन 2008 से ही डी.डी.ए. की पूरी कोशिश रही की मा० उपराज्यपाल के कोई भी आदेश लिखित में कागज़ पर ना आने पाएं और ऐसा ही हुआ।

डी.डी.ए. की पुनर्वास नीति में सर्वेक्षण करने की विधि (जिसमें झुग्गी यदि बन्द है तो उसमें नोटिस देकर दोबारा सर्वे करने का प्रावधान), और सूची विस्थापन के पहले सार्वजनिक स्थानों पर लगाने - ताकि आपत्तियां तथा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए मौका मिल सके - की विधि सुनिश्चित है परन्तु वास्तव में डीडीए के अधिकारी सर्वेक्षण तथा सूची वितरण का काम प्रधानो के माध्यम से करते हैं।

लेकिन लोगों ने अपनी कोशिशें जारी रखी और अंततः दिनांक 07.03.2012 की मीटिंग में एलजी (उपराज्यपाल) ने निम्नलिखित आदेश दिए।

दिनांक 07-03-2012 की मीटिंग में एलजी ने निम्नलिखित आदेश दिए जो कि दिनांक 09-04-2012 को सरकारी आर्डर नम्बर ... U.O.No.100(3)/09/RN/1115/5196 ..... में इस प्रकार से लिखित में आये।

- **राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र दोनों मे व्यक्ति और उसके निवास की जगह का विवरण होता है, दोनो में से कोई एक आवास के सबूत के तौर पर पर्याप्त है इसलिए व्यक्ति की योग्यता के प्रमाण के रूप से माना जाएगा, फिर भी दस्तावेजों को संबधित विभागों से वेरीफिकेशन और कटऑफ डेट के अनुरूप.ही स्वीकार किया जाएगा।**
- **दस्तावेजों का वेरीफिकेशन तीन माह के अन्दर पूरा हो जाना चाहिए। डीडीए के वीसी संबंधित विभागों से वेरीफिकेशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आदेश करेंगें। जिन मामलों में रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं उनमें संबंधित विभागों से रिकार्ड उपलब्ध न होने का सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाए। इस तरह (वेरीफिकेशन न हो पाने पर) संचार द्वारा प्राप्त रसीद मिलने पर डीडीए को इन दस्तावेजों को असली मानकर प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए।**

इन आदेशों से साफ जाहिर होता है कि अगर बस्ती में रहने वाले नागरिकों के पास कागज़ होने के बावजूद भी उनका नाम पुनर्वास की लिस्ट में नहीं आता और उन्हें पुनर्वासित करने से इन्कार किया जाता है तो ऊपर दिए गए एलजी (उपराज्यपाल) के आदेशों का सहारा लेकर पुनर्वास के लिए डी.डी.ए. (DDA) या डी. यू.एस.आई.बी (DUSIB) में लिखित में अर्जी देकर और बार–बार जाकर अपना हक प्राप्त किया जा सकता है।

जहाँ भी जाएं लिखित में कार्यवाही हो:- यह बात तो अब स्पष्ट हो ही गई है कि सरकारी तंत्रों से कुछ भी बातचीत हो उसे लिखित में देना बहुत आवश्यक है। यहाँ तक की छोटी से छोटी बात जो सरकारी दफ्तर में जाने पर सरकारी अफ्सर से हुई हो, उन बातों को लिखकर दें।

अगले पृष्ट पर दिया गया आवेदन पत्र केवल दर्शाने के लिए है। आप अपनी जरूरत और बातचीत के हिसाब से लिखें और उसी समय इसकी एक फोटो कॉपी पर रिसीविंग या फिर डायरी नम्बर लेकर अपने पास सम्भाल कर रखें। इसके अनेकों फायदे हैं जैसे कि आपसे उनकी बातचीत का लिखित सबूत आपके पास रहेगा, जिसके आधार पर लिखित में काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लिखित में देने का एक और फायदा ये भी है कि सरकारी अफसरों पर आपके काम को ठीक से और समय से करने का दबाव भी बढ़ता जाता है और जितना आप लिखेंगे उतनी ही उनके पास सरकारी फाईल मोटी होती जाएगी और सरकारी अफसर मोटी फाइलों से बहुत डरते हैं।

सेवा में,
विभाग का पता
.....
.....

दिनांक .....

विषय : आज आप से मिल कर हुई बातचीत्

महोदय,

आज दिनांक ..... (अमुक) को आप के दफ्तर में आप से हम ..... (अमुक) लोग आप से मिलने आए जिसमें निम्नलिखित बातें हुईं

1. हमने आपको बताया कि हमारी बस्ती .....
2. जिस पर आप ने कहा कि .....
3. लेकिन इस पर हमने ये कहा कि .....
4. अंत में आपने बताया कि .....

आखिर में ये तय हुआ कि ..... (तारीख) तक ये काम ..... (अमुक) तक किया जाएगा और इसके बाद हम आपसे दोबारा मिलने आएंगे।

धन्यवाद
भवदीय
हस्ताक्षर
अपना पता
.....

कोर्ट का आदेश क्या कहता है?

7

दिल्ली के कई रिहाइशी इलाकों से बस्तियों को तोड़कर लोगों को दिल्ली शहर से 30–35 कि.मी. दूर बवाना, भलस्वा, मदनपुरखादर इत्यादि जगह भेजा गया। इन जगहों पर यहाँ यमुना पुश्ता, विकासपुरी, सरस्वती विहार, प्रगति मार्केट, अशोक विहार, पश्चिम विहार आदि क्षेत्रों से लोगों को उजाड़ा गया। इन लोगों को बताया गया कि बवाना में औद्योगिक इलाका (इण्डस्ट्रियल एरिया) विकसित किया गया है और वहाँ इन लोगों को काम मिल जाएगा। लेकिन बवाना में इन परिवारों को सारे आवश्यक दस्तावेज़ होने के बावजूद जब प्लाट ही नहीं मिला तो काम भी कहाँ मिलता। तकरीबन 12–13 हजार परिवार (अनुमानित संख्या 1 लाख लोग) को बवाना भेजा गया था लेकिन इनमें से अधिकांश को काम तो मिला नहीं उल्टे फैक्ट्री मालिकों को ही शिकायतें रहीं कि मूलभूत सुविधाओं (यातायात, सुरक्षा इत्यादि) के आभाव में बवाना में फैक्ट्रियां शुरू करना मुश्किल है और कई फैक्ट्रियों में काम ही शुरू नहीं हुआ। 2008 के अन्त तक लगभग 3500 फैक्ट्रियां शुरू हो पाई थीं। लेकिन इन फैक्ट्रियों मे बवाना के बहुत ही कम लोगों को काम मिला। काम और आवास दोनों से ही वंचित कर दिए गए लोगों ने कुछ समय तक तो डी.डी.ए. दफ्तरों के चक्कर काटे। लेकिन जिन दस्तावेज़ों के आधार पर एक को प्लॉट दे दिया जाता, उनके ही आधर पर दूसरे को नहीं दिया जाता। आखिरकार लोगों ने डी.डी.ए. के संगठित तंत्र से लड़ने के लिए खुद संगठित होने का फैसला किया। बवाना में सन् 2008 से कुछ सक्रिय लोगों ने इस काम को हाथ में लिया और पिछले चार सालों में उन लोगों के संघर्ष के ही कारण डी.डी.ए. अधिकारियों को अपने द्वारा किए गए निर्णयों को गलत ठहराना पड़ा। उपराज्यपाल के दिए आदेश, जो इस पुस्तिका में दिए गए हैं, को भी डी.डी.ए. के बड़े अधिकारी अपनी काहिली और मक्कारी की वजह से लागू नहीं कर रहे हैं।

इसी दौरान जब जिन लोगों के दस्तावेज़ों को लेकर संघर्ष चल रहा था, डी.डी.ए. ने बवाना में अक्टूबर 2011 में कुछ झुग्गियों को तोड़ दिया। इनमें ज्यादातर उन लोगों की झुग्गियाँ शामिल थीं जिनके बारे में उपराज्यपाल के यहाँ मामला चल रहा था और उनके आदेश के पालन की आवश्यकता थी।

अतः लोगों ने ख़तरा केन्द्र और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (HRLN) के साथ मिलकर फरवरी 2012 में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। पहली सुनवाई में ही संस्थाओं द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों के आधार पर अदालत ने फैसला देते हुए कहा कि जिन बेदखल लोगों के लिए पुनर्वास की इच्छा जताई जा रही है, उन लोगों को अपने वर्तमान जगह से अगली सुनवाई तक बेदखल नहीं किया जा सकेगा।

अदालत के इस आदेश के बाद लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल गई है और उन्होंने अपने घर–परिवार की

सुरक्षा (ठंड से) के लिए वहीं आसपास पॉलीथीन की चादरें इत्यादि डालकर गुजारा करना शुरू कर दिया है। अदालत में अभी तक डी.डी.ए. की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। हलांकि इस मामले में अदालती कार्यवाही धीमी है लेकिन फिर भी बवाना के लोग अपनी जीत की उम्मीद रखते हैं क्योंकि हम लोग हर तरह से दस्तावेज़ों और उपराज्यपाल के आदेशानुसार प्लॉट पाने की योग्यता रखते हैं।

8

ज़मीनी लड़ाई (लोगों को एकजुट) होना है

अगर हम इतिहास के पन्नों में या फिर हाल ही में हो रहें संघर्षों में देखें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि आपस का बिखराव, आपसी टूट, बड़े–बड़े संघर्ष को कमज़ोर बना देती है, और वो संघर्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाता है जहाँ पर लोगों को नाकामयाबी तो मिलती ही है, इसके अलावा बना बनाया संगठन भी हाथों से निकल जाता है। इसके अलावा हम विपरीत में इस बात को देखें तो पता चलता है कि जब–जब एकजुट होकर और सही दिशा में लोगों ने अपने हकों की लड़ाई को लड़ा है तो लोगों को कामयाबी तो मिली ही, साथ–साथ संगठन भी लगातार मज़बूत होते चले गये।

संगठन की जरूरत :- हम सभी ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि जो काम संगठित होकर करने में जितना फायदेमंद होता है उतना अकेले करने पर नहीं होता जब हम अपनी समस्याओं को लेकर किसी भी सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, तो हमें अकेला देखकर अधिकारी का बात करने का लहजा ही बदल जाता है और वो हमें गुमराह कर हम पर हावी होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब हम संगठित होकर किसी दफ्तर में जाते हैं, तो अधिकारी हमारी बात सुनने के साथ–साथ हमारे बैठने की भी व्यवस्था करता है क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि लोग संगठित हैं, उन्हें आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता।

एकजुट तो होना ही होगा :- आवास खोने के साथ ही साथ हमारी रोज़ी रोटी भी छिन जाती हैं। दिल्ली की हर एक पुनर्वास बस्ती की बुरी हालत है। युवाओं का रोज़गार छिन गया। महिलाएं जिन्हें शहर में, घरों में, दुकानों में, अपना स्वरोज़गार मिल जाता था, अब उन्हें दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। न शिक्षा, न साफ़ पानी, न बिजली, न राशन और शहर से दूर यातायात की कोई सुविधा नहीं, साफ़–सफ़ाई तो दूर, पुनर्वास कॉलोनियां कूढ़े के ढेर में बनी हुई हैं। आस–पास चिकित्सा सुविधा नदारद है। हर तरीके से सरकार दिल्ली को मेहनतकश गरीबों से खाली कराना चाहती है और जहाँ लोगों को पुनर्वासित किया है, वहाँ उन्हें उस स्थिति में ला दिया गया है कि उन्हें अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रहना पड़ रहा है। लिहाज़ा एक ही विकल्प बचता है कि अपने मूल अधिकारों को हासिल करने के लिए (जो इस देश के संविधान से हर नागरिक को दिए हैं) लड़ा जाए, संघर्ष किया जाए। लेकिन सरकार और देश के प्राधिकरणों से लड़ने में कठिनाई ये है लोगों के पास कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की जानकारी कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। जबकि कोशिश ये भी होनी चाहिए कि सरकारी नीतिगत फैसलों का कानूनी और संवैधानिक रास्तों से जबाब दिया जाए। एसे मामलों में हमें उन संस्थाओं एवं लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ाने की जरूरत है जो एसे मामलों मे हमारी मदद कर सकते हैं। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं और बदले

जाते हैं, लेकिन सिर्फ जनता के दबाव में । इसलिए ये जरूरी है कि अपने संघर्ष को व्यवस्थित रूप दिया जाए। जमीनी लड़ाई और कागज दोनों की समझ बनानी होगी। जब सबकी समस्या एक है और शोषणकारी व्यवस्था मज़बूत है तो संघर्ष भी मज़बूत होना चाहिये और हमें उसे लम्बे समय तक चलाने के लिए तैयार रहना होगा। लोगों को एक साथ आना होगा। एक मज़बूत जंजीर की तरह कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए संघर्ष को धार देनी होगी। लेकिन ये तभी होगा जब हम इकट्ठे होकर लड़ें। दिल्ली में लगभग 50 लाख से ऊपर बस्ती के लोग हैं। क्या ये संभव नहीं हो सकता कि लोग आपस में सम्पर्क बढ़ाएं। जनसंवाद और आपसी संवाद करें। अनुभवों को एक–दूसरे से साझा करें और एकजुट होने की कोशिश करें ताकि मज़बूत और एकजुट होकर अपने छीन लिए गए नागरिक अधिकारों को हासिल करें। और जब–जब लोग इकट्ठे होकर लड़ें हैं उन्हें सफलता मिली है। सरकार झुकी है, प्राधिकरणों ने हार मानी है। भलस्वा की महिलाओं ने एमसीडी अधिकारियों केा गलत सर्वे करने से रोका, और राशन, शिक्षा को लेकर संघर्ष किया। आर.टी.आई के मामले में अपनी समझ को इतना विकसित किया कि अब अन्य बस्तियों में जाकर औरों को भी इसका उपयोग करना सिखाती हैं। खानपुर में महिलाओं ने सुविधाओं के मुद्दे पर सड़कें जाम कीं, स्कूलों में प्रदर्शन कर बच्चों को प्रवेश दिलवाया, महिलाओं के साथ छेड़–छाड़ रूकवाई, राशन व्यवस्था और पानी की व्यवस्था करवाई, बेघरों के लिए संघर्ष करने वालों ने बेघरों को इकट्ठा किया और उन्हें सम्मानपूर्वक रहने के लिए आश्रय दिलवाये। अपने बस्ती को बचाने के लिए यमुना पुश्ता के लोग अदालत गए (हलांकि उन्हें सफलता नहीं मिली) और उनकी बस्ती को तोड़ने के जिम्मेदार पूर्व मंत्री को चुनाव में हराने के लिए मिलकर वोट दिया। बन्नूवाल नगर के निवासियों ने तो 1500 लोगों के साथ मिलकर तत्कालीन मंत्रियों के यहां धरना किया। उनकी बस्ती तो नहीं बची लेकिन बवाना जाने से पहले उन्हें डिमांड लेटर मिल चुके थे। तोड़–फोड़ के बावजूद प्रशांत विहार के लोगों ने हैदरपुर में अपनी कालोनी दोबारा बसाई। मंडावली के लोगों ने डी.डी.ए. दफ्तर में ऑफिसरों को तब तक घेरे रखा जब तक डिमांड लेटर नहीं मिल गए। भारत नगर बस्ती के लोगों ने अदालत के माध्यम से डी.डी.ए. को दस्तावेज़ों की जांच दोबारा करने के लिए बाध्य कर दिया। बवाना के लोगों ने सड़क की लड़ाई के साथ ही कानूनी और नीतिगत फैसले को चुनौती दी और डी.डी.ए. के चैयरमेन को भी यह कहना पड़ा कि डी.डी.ए. के अधिकारी ही गलत हैं, लोग नहीं। वहीं उपराज्यपाल ने भी लोगों को सही मानते हुए दस्तावेज़ों के आधार पर लोगों को प्लाट देने का का आदेश दिया।

ये सारे उदाहरण लोगों की एकजुटता का प्रमाण है। जब तक इन बस्तियों के लोग बिखरे रहे तब तक उन्हें आसानी से अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया। लेकिन जो इकट्ठे होकर लड़ सके उन्होंने परिवर्तन कराया है। चूंकि ख़तरा हमारे सर पर मंडरा रहा है, हमारी बस्तियाँ टूटने वाली हैं और हमें बेरोज़गार कर

दिए जाने का षड़यंत्र रचा जा रहा है और हमारे बच्चों का भविष्य अधर में है क्योंकि दिल्ली को रईसों के लिए बदला जा रहा है, इसलिए ये जरूरी है कि इस शहर, जिसको बसाने में हमने अपना खून पसीना बहाया है, में हम अपने लिए भी ज़मीन और रोज़गार मांगे। आइए संघर्ष की रणनीति बनाने की चर्चा करें, बहस के नए रास्ते निकाले, एकजुट होकर, संगठित होकर अपने अधिकारों को छिनने से रोंके।

संगठित होकर काम करने के फायदे :-

1. जानकारियों का आदान–प्रदान – जब हम किसी भी काम को संगठित होकर करते हैं तो एक बड़ा फायदा संगठन को ये मिलता है कि काम के सम्बन्ध में अलग–अलग व्यक्ति से अहम् जानकारियां मिलने लगती हैं जिसकी वजह से लड़ाई में और ज़्यादा मज़बूती आने लगती है। दूसरे एक बस्ती के अलावा लोगों के भी अलग–अलग सम्पर्क होते हैं जो काम में आते हैं।
2. सोचने का मौका – जब लोगों का धीरे–धीरे संघर्ष बढ़ने लगता है, तो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा से संघर्ष को धार देने के लिये सोचने लगते हैं। काम को लेकर आपस के सोच विचार से एक फायदा ये भी होता है कि नई–नई योजना में तर्क वितर्क कर सही निर्णय पर पहुँचा जा सकता है, जिसके द्वारा संगठन का धीरे–धीरे से चलने वाला काम रफ्तार पकड़ लेता है।
3. सरकारी अफसरों पर दबाव – किसी भी महकमें के कर्मचारियों, अफसरों पर दबाव तब बनता है जब हम संगठित होकर अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास जाते हैं। संगठन की ताकत व एकजुटता को देखकर अफसर दबाव महसूस करने लगता है और हमारी समस्याओं को जल्दी निपटाने की कोशिश करता है, असंगठित होकर जाने पर अफसर लोगों को सही जवाब ना देकर गुमराह करने की कोशिश करने लगता है, साथ ही उसका व्यवहार ही दुर्व्यवहार में बदल जाता है।
4. काम में आसानी – संगठित होकर काम करने में हमारा काम आसान भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। क्योंकि सामने वाला बखूबी समझ जाता है कि अब जनता अपने हक को जानने के साथ–साथ उसके लिये जागरूक भी हो चुकी है और इसके अलावा अधिकारी को ये डर भी महसूस होने लगता है कि कहीं जनता की एकजुटता धरने की शक्ल ना अख्तियार कर लें। दूसरे संगठन में अलग–अलग कामों के लिए अलग–अलग टीम बनाकर सम्पर्क का दायरा बढ़ता जाता है। साथ ही, संगठन में अलग–अलग कामों के लिए अलग–अलग टीम बनाकर सम्पर्क का दायरा बढ़ जाता है।

पारदर्शिता :- किसी भी संगठन को चलाने के लिए जिम्मेदार मुख्य लोगों को पारदर्शिता अपनानी होती है। जिससे काम के संबंध में लिए गए फैसले और संगठन के कामों के लिए जमा और खर्च किए गए पैसे का हिसाब–किताब और सबको साथ लेकर चलने की बात हमेशा सार्वजनिक हो। सबकी राय ली जाए और

प्राप्त की गई जानकारी दी जाए। संगठन की साप्ताहिक और मासिक बैठकें नियमित हों जिसमें संघर्ष के स्वरूप और सम्पर्क को बढ़ाने के लिए संगठन के लोगों से राय ली जाए। नई या तकनीकी जानकारी, सरकारी नीतियां तथा अन्य संगठन के साथ मिलकर काम करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन इत्यादि किए जाने चाहिए। इन सबसे न केवल संगठन में एकजुटता की भावना पैदा होगी बरन अपने अधिकारों के लिए किए जाने वाले संघर्ष को नए आयाम मिलेंगे।

नुक्कड़ मीटिंग

9

जब लोगों को उनकी जिन्दगी में समस्यायें, परेशानियां जकड़ने लगती हैं तो लोग उन समस्याओं के निवारण के लिए नये–नये तरीकों की खोज़ में जुट जाते हैं। उन्हीं तरीकों में से एक है नुक्कड़ नाटक/मीटिंग। यह एक ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी परेशानियों को समाज के सामने रखने कि कोशिश करते हैं। इसके अलावा समस्याओं से जुड़ी जानकारियों या जागरूकता अभियान को लोगों तक फैलाने तथा समझाने के लिए नुक्कड़ मीटिंग/नाटक एक ऐसा माध्यम भी है जिसके ज़रिये हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को आसानी से रख सकते हैं।

नुक्कड़ मीटिंग क्या है - नुक्कड़ मीटिंग का मतलब बस्ती, मोहल्ले के किसी भी चौराहे पर या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इक्ट्ठा हो सकें, लोगों को इक्ट्ठा करके सभा या नाटक द्वारा अपने मुद्दों पर सभी को जागरूक करना जिससे वो छुपी हुई जानकारी, जिसकी सच्चाई से अधिकतर लोग दूर हैं, वो जानकारी सभी तक पहुँच सके।

नुक्कड़ नाटक/सभी की प्रस्तुति - किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उस कार्यक्रम की तैयारी तथा उसके विषय के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम का विषय कुछ भी रख सकते हैं, चाहे उसमें पानी की समस्या हो, राशन की समस्या, बिजली, साफ़–सफाई, बीमारी या फिर अपने हक को लेकर सरकार से लड़ी जा रही अपने आवास की लड़ाई ही क्यों न हो।

कैसे करें - सबसे पहले हमें कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अपने ही संगठन में से कुछ ऐसे 7–10 लोगों को तैयार करना होगा जो अपनी कला के माध्यम से बैठी जनता को समस्याओं से अवगत करा सकें।

1. हम अपने कार्यक्रम में महिलाओं एवम् पुरूषों दोनों को ही शामिल कर सकते हैं।
2. नाटक की प्रस्तुति में हम गीत संगीत का सहारा लेकर भी अपने मुद्दे को समझ सकते हैं।
3. नुक्कड़–नाटक में काम करने वाले कलाकार अगर उन लोगों के बीच से ही हों तो इससे संघर्ष के नए – नए तरीके सोचने में भी मदद मिलती है, क्योंकि वे पीड़ित भी हैं और संघर्ष के साझेदार भी।
4. हर बैठक या सभा या किसी भी धरने प्रदर्शन और अभियान के दौरान ऐसे लोगों का दल साथ में हो जो नुक्कड़–नाटक कर, माहौल और मुद्दे को लेकर किए जा रहे संघर्ष को और धार दे सकें।

ज़मीन कहाँ गई ?

10

अपने हक को पाने के लिए लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं और अधिकतर लोग तो ऐसे भी होते हैं जो संघर्ष करते–करते दुनिया से ही चले जाते है पर उनका हक उन तक नहीं पहुँच पाता। आखिर सवाल ये उठता है कि जिस ज़मीन का वादा सरकार ने गरीब लोगों को देने के लिये किया था वो ज़मीन आखिर कहाँ गई ? एक तरफ तो सरकार अपने कानून (मास्टर प्लान 2021) के अध्यायों में वादा करती है कि लोगों के लिए आवास मुहैया करवाए जायेंगे, बेहतर सुविधायें दी जाएंगी। मगर हकीकत में देखें तो तस्वीर कुछ और ही कहती है । जिस ज़मीन पर गरीब लोगों का हक था आज वो ज़मीन सरकार के ही भ्रष्ट अधिकारियों, भू–माफियों और दलालों के हाथों चढ़ चुकी हैं। सरकार हमेशा से यही कहती आई है कि लोग गलत तरीके से और गैरकानूनी तौर पर ज़मीन पर काबिज़ थे। उनकी झुग्गियाँ गलत तरीके से बसाई गई थीं। मगर सरकार यह बात नहीं सोचती की आखिर वो झुग्गियां बसाई क्यों गई ? उसके पीछे के सच पर निगाह डालें तो सच्चाई सरकार के उन वादों का परदाफाश करेगी जो वादे वो लिखित रूप में कर चुकी हैं। किसी भी शहर को बनाने और लोगों को बसाने उनके लिए भविष्य में योजनाएं बनाने के लिए तथा सुविधाओं इत्यादि का आंकलन करके एक कानूनी दस्तावेज़ तैयार किया जाता है। इस दस्तावेज़ को मास्टर प्लान कहते हैं। दिल्ली के भी सन् 1960 से अब तक तीन मास्टर प्लान (1962, 1981, 2001) बन चुके हैं। हर एक मास्टर प्लान अगले 20 सालों के लिए दिल्ली में क्या योजनाएं होनी चाहिएं, उसका लेखा–जोखा प्रस्तुत करता है। लेकिन मास्टर प्लान के आंकड़ों और हर 20 साल बाद उस प्लान की अवधि के खत्म होने के बाद की हकीकत अलग ही है।

उदाहरण के तौर पर दिल्ली के मास्टर प्लान (1962–1981) के तहत् सरकार को 7.4 लाख घर बनाने थे लेकिन 1981 तक केवल 5 लाख 43 हज़ार घर ही बनाए। दूसरे दिल्ली मास्टर प्लान (1982 – 2001) से सरकार को 16 लाख 20 हजार और घर बनाने थे लेकिन बनाए सिर्फ 5 लाख 56 हजार यानि 10 लाख 99 हजार घर नहीं बनाए गए। इस तरह से कुल मिलाकर दोनों मास्टर प्लान के अनुसार 23 लाख 60 हजार घर बनाने थे और सरकार ने बनाए सिर्फ 11 लाख। अब सरकार से ही पूछा जाए कि वो लगभग 13 लाख घर कहाँ गए जो उसे 40 साल में मास्टर प्लान के अनुसार बनाने थे। दिल्ली के तीसरे मास्टर प्लान (2002–2021) में सरकार को कुल 24 लाख और घर बनाने थे लेकिन जिस तरह से पिछले मास्टर प्लान में आवास और ज़मीन दोनो के ही मामले में अपनी जिम्मेदारी जब पूरी नहीं कर सके तो फिर इस बार क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे ? दिल्ली मास्टर प्लान, दिल्ली सरकार का कानूनी दस्तावेज़ है। अगर उसके

अनुसार सरकार काम नहीं करती तो कानून के हिसाब से कौन गलत है–जनता या सरकारी विभाग ? और जब सरकार ने ही कानून के अनुसार काम नहीं किया तो गैरकानूनी कौन ? चलिए ये भी पूछा जाए कि जो 13 लाख घर नहीं बने उनकी ज़मीन कहाँ गई ? और आरोप यह है कि झुग्गी वाले ज़मीन पर अवैध रूप से रहते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि उल्टा चोर कोतवाल को डाँटें। जिन परिवारों के लिए घर बनाने थे ये 13 लाख घर न मिलने पर ये परिवार कहाँ जायेंगे ? फिर झुग्गी वालों को ये दोष देना कि वे अवैध रूप से रहते हैं, ये कहाँ का न्याय है। मकानों का हिसाब सरकार न दे, ज़मीन का हिसाब सरकार न दे, गरीबों के आवास और ज़मीन का हक खुद सरकारी विभाग छीने और दोषी ठहराए झुग्गी वासियों को। लेकिन हम लोग ये सवाल नहीं पूछते। हम लोग ही ये साबित करने में लग जाते हैं कि हम वैध हैं अवैध नहीं। जबकि हमें खुद सरकारी विभागों से पूछना चाहिए कि खुद वे कितने वैध तरीके से काम करते हैं और कितने अवैध आँकड़े पेश करते हैं।

ऊपर दिए गए आंकड़े दिल्ली के तीनों मास्टर प्लान के अनुसार हैं। हर मास्टर प्लान में खुद सरकार ने ये स्वीकार किया है कि मास्टर प्लान के अनुसार आवास नहीं बनाए गए। जब खुद सरकार ने ही अपना काम पूरा ही नहीं किया तो किस आधार पर शहरी गरीबों को दोष दे रही है। तीनों मास्टर प्लानों में मकान बनाने का जो लक्ष्य सरकार ने तय किया था वो पूरा नहीं हुआ और हर मास्टर प्लान में ये आंकड़ा दिया गया है कि हमने इतने मकान बनाए हैं। मास्टर प्लान के आंकड़े सरकार के वो आंकड़े हैं जो वो खुद स्वीकार करते हैं।

ख़तरा केन्द्र द्वारा डी.डी.ए. से सूचना के अधिकार के तहत् आवास सम्बंधी जानकारी 2012 मांगी गई । इस आर.टी.आई. में डी.डी.ए. से ये पूछा गया था कि सन् 1962 से लेकर 2011 तक कितने घर डी.डी.ए. ने बनाए हैं । तो लाखों मकान बनाने की बात करने वाले डी.डी.ए. की सारी हकीकत सामने आ गई। इस आर.टी.आई. के अनुसार डी.डी.ए. ने 1967 से 1981 के बीच (पहले दिल्ली मास्टर प्लान 1962 के अनुसार) सिर्फ 72000 घर बनाए। इनमें से 31386 घर कमज़ोर वर्गों के लिए (EWS), 20541 कम आय वालों के लिए (LIG), 18431 मध्यवर्गीय आय वालों के लिए (MIG), 720 (SFS CAT) आवास ही बना पाए।

जबकि सन् 1982 – 2001 (दूसरे मास्टर प्लान) के बीच सिर्फ 2,09,371 घर बनाए। इनमें से 60740 घर कमज़ोर वर्गों के लिए (EWS), 54215 कम आय वालों के लिए (LIG), 43383 मध्यवर्गीय आय वालों के लिए (MIG), 51033 (SFS CAT) आवास ही बना पाए।

और सन् 2002–2011 (तीसरे मास्टर प्लान) के बीच सिर्फ साढ़े 36 हजार घर ही अभी तक बन पाए हैं। जिसमें से 7740 घर कमज़ोर वर्गों के लिए (EWS), 18395 कम आय वालों के लिए (LIG), 4575 मध्यवर्गीय आय वालों के लिए (MIG), और 5395 (SFS CAT) आवास ही बना पाए। जबकि इस तीसरे मास्टर प्लान के अनुसार लक्ष्य है 24 लाख घर बनाने का । इससे ये स्पष्ट होता है कि चोर चोरी करे और सीना जोरी भी

करे यानि कि ज़मीन और आवास दोनों का हिसाब सरकार न दें और उल्टा शहरी गरीबों को दोषी ठहराए।

आज जब अपने हक के लिए ज़मीन के बारे में सवाल किया जाता है तो सरकारी विभाग से जवाब मिलता है कि ज़मीन कहाँ है ? जिन गरीब मज़दूरों एवम् मेहनतकश लोगों ने दिल्ली के हर कोने को उच्च स्तरीय इमारतों से सजाया आज उन्हीं गरीबों के लिए दो गज ज़मीन के लाले पड़े हुए हैं। बेहतर तो ये था कि उन्हें ज़मीन उनके समय पर दे दी जाती। लेकिन ज़मीन देने की बजाय उनसे एक बेजान सा सवाल किया जाता है कि ज़मीन कहाँ है ?

क्या सचमुच दिल्ली में ज़मीन नहीं है?

11

सरकार कहती है कि दिल्ली में ज़मीन की कमी है। इसलिए लोगों को बसा नहीं सकते लेकिन सरकार के ही आँकड़ों को गौर से देखा जाए तो सच्चाई कुछ और ही नज़र आती है।

दिल्ली में कुल ज़मीन 148,639 हेक्टेयर (1 हेक्टेयर = 2½ एकड़ या 10,000 वर्ग मीटर) है। इसमें से 1981 तक लगभग एक–तिहाई (48,777 हे.) ज़मीन ''शहरी'' क्षेत्र में आ गई थी। उसके बाद, दूसरे मास्टर प्लान में, शहरी क्षेत्र में 24,000 हे. ज़मीन और बढ़ा दी गई। याने कि 2001 तक प्रदेश की करीब आधी ज़मीन (72,777 हे.) ज़मीन शहर के कब्ज़े में आ गई थी। तीसरे मास्टर प्लान 2021 में 20 हजार हेक्टेयर ज़मीन शहरी विस्तार के लिए विकसित की गई जिसमें 50% प्रतिशत ज़मीन रहिवाशी जगह के लिए यानि 10 हजार हेक्टेयर । अगर तीनों मास्टर प्लान के अनुसार ज़मीन के आंकड़ों को जोड़कर देखा जाए तो पता चलता है कि 42 हजार हेक्टेयर ज़मीन रिहायशी इलाके के लिए विस्तारित की गई।

इस शहरी ज़मीन में से, अलग अलग समय पर, 40% से 50% रहिवाशी इलाका घोषित किया गया है – यानि कि लगभग 42000 हेक्टेयर ज़मीन। 100 घर प्रति हेक्टेयर के मानक के हिसाब से इतनी ज़मीन पर लगभग 42 लाख परिवार अपना घर बना सकते थे और हर परिवार को 50 वर्ग मीटर ज़मीन मिलती। जबकि दिल्ली में अभी केवल 6 लाख परिवार झुग्गियों में हैं, और 7 लाख परिवार अनधिकृत कालोनियों में। कुल मिलाकर 13 लाख परिवार ऐसे हैं जो झुग्गियों या सड़कों पर रहते हैं।

मास्टर प्लान के आंकड़ों और सूचना का अधिकार के तहत् प्राप्त आंकड़ों में भी अन्तर है। कोई भी इन आंकड़ों का विश्लेषण करके ये जान सकता है कि सूचना अधिकार के तहत् डी.डी.ए. से प्राप्त आवास मुहैया कराने संबंधी आंकड़े और दिल्ली मास्टर प्लान में बनाए गए घर सम्बंधी आंकड़ों में ये अन्तर क्यों आया है? ज़ाहिर सी बात है कि डी.डी.ए. आंकड़ों की हेर–फेर के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ रहा है। क्योंकि ये आंकड़े ही ये बताते हैं कि गलत दरअसल खुद डी.डी.ए. है क्योंकि उन्होंने आवास बनाने सम्बंधी लक्ष्य को पूरा नहीं किया। दूसरे आवास के लिए जो ज़मीन डी.डी.ए. के पास उपलब्ध थी उस ज़मीन का उसने क्या किया ? अगर उस पर रहिवाशी मकान नहीं बने तो उस पर क्या बना है?

इन सबसे एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि जो लोग झुग्गी में रहते हैं वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके बसाने के लिए शहर में जो ज़मीन सरकारी विभागों को मिली हुई है उस पर ये विभाग उन लोगों के लिए आवास नहीं बनवाते। दूसरे अगर आवास नहीं बनते तो फिर मेहनतकश लोग कहाँ जाए? लिहाज़ा उन्हें सर छिपाने के लिए कहीं न कहीं जगह तो चाहिए। यहां सवाल ये उठता है कि इन सबके

लिए (ज़मीन और आवास लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए) इन सरकारी विभागों को पैसा मिलता है, तो फिर अगर मकान नहीं बने, ज़मीन का कोई हिसाब नहीं दिया तो फिर पैसा कहाँ गया ? अब फैसला हम लोगों को करना है कि हम मेहनतकश गलत हैं या सरकारी विभाग? न केवल गलत वरन् अवैध तरीके से और गैरकानूनी प्रक्रियाओं से हमारे ही घरों का और ज़मीनों का हक मारकर हमें ही अवैध ठहराया जाये तो इसका जवाब तो हमें देना ही होगा।

Delhi Urban Shelter Improvement Board
GOVT. OF NCT OF DELHI
Punarvas Bhawan, I.P. Estate,
New Delhi – 110002
Phone : 011-23370735, 23379983
Email: delhishelter@gmail.com

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड,
पुनर्वास भवन, आई.पी. स्टेट,
नई दिल्ली – 110002
फोनः 011-23370735, 23379983
ईमेलः delhishelter@gmail.com

Public Information Officer (Survey)
Sh. D.B. Sharma
Deputy Director (Survey)
A/8, Ground Floor, Vikas Sadan,
INA, New Delhi
Phone: 24690431/35
Extension: 2219
Email: ddsurvey@dda.org.in

सूचना अधिकारी (सर्वे)
श्री डी.बी. शर्मा
उपनिदेशक (सर्वे)
ए/8, भूमितल, विकाससदन,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
फोनः 24690431/35
Extensionः 2219
ईमेलः ddsurvey@dda.org.in

Public Information Officer (Master Plan)
Sh. H.S. Dhillon
Joint Director (Master Plan)
6th Floor, Vikas Minar
New Delhi – 110002
Phone: 23370507, 9818327660
Email: jtdirmp@dda.org.in

लोक सूचना अधिकारी (मास्टर प्लान)
श्री एच. एस. डिल्लो
संयुक्त निदेशक (मास्टर प्लान)
6वां तल, विकास मीनार
नई दिल्ली – 110002
फोनः 23370507, 9818327660
ईमेलः jtdirmp@dda.org.in

Hazards Centre

ख़तरा केन्द्र,
92 H, तीसरी मंज़िल,
प्रताप मार्केट, मुनीरका,
नई दिल्ली–110067
फोनः 011–26187806, 26714244
ईमेलः hazardscentre@gmail.com